

23.9.24 वकील प्राची उपस्थित, प्राची स्वयं उपस्थित
 प्राची के प्राचना पत्र पर मिसल पेशी
 में ली गयी, प्राची ने प्राचना-पत्र
 प्रस्तुत हुए निवेदन क्रिया छि प्राची
 अप्राचीण से राजीनामा हो जाने के
 कारण उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही
 नहीं करना चाहते हैं। पत्रावली वर्तमान
 स्तर पर खारिज करमाई जावे। प्राची
 का प्राचना पत्र स्वीकार कर पत्रावली
 वर्तमान स्तर पर खारिज की जाती है।
 पत्रावली मम्ब से कुमठी जाऊ बाद
 तृतीया डाखिल दफतर हो

Amal
 23.9.24

रत्नमणि केशव
 उपखण्ड मजिस्ट्रेट
 पदेन सहायक कलेक्टर
 दिब्वी

